

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग।

पत्रांक-प्र02/बोर्ड पुर्न0सं0-31/2008

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का कंपनी एक्ट, 1956 के अनुसार पुर्नगठित नई पांच कम्पनियों के निदेशक, मंडल के गठन एवं कम्पनियों के शेयरों को शेयरधारकों में आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुपालन में ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-999 दिनांक-06.03.2012 के आलोक में राज्यादेश संख्या-1436 दिनांक-29.03.2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के चार सबसिडियरी कम्पनियों हेतु श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भी शेयरधारक बनाया गया है। वर्तमान में श्री रविकान्त, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के रूप में पदस्थापित हैं। अतः चार सबसिडियरी कम्पनियों, यथा बिहार स्टेटपावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के पंजीकरण हेतु श्री रविकान्त प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, श्री अजय नायक के स्थान पर शेयरधारक होंगे।

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या-1436 दिनांक-29.03.2012 को यथा अनुरूप संशोधित समझा जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड पुर्न0सं0-31/2008 2656

पटना, दिनांक- 18/6/12

प्रतिलिपि :- सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी निदेशक/सभी शेयरधारक/अंशदाता/ सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग।